तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **घनश्याम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 17 / 2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.22	अपीलार्थी घनश्याम, निवासी ग्राम धाना झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2021 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार, लूणी के द्वारा 01 जनवरी, 2014 के बाद आज इस आवेदन देने तक किए गए समस्त आदेश / सर्कुलर / recommendations की प्रमाणित प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करा[illegible] नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:14:20 IST
Reason: SelfAttested